

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी - श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आर.ए.एस.))

क्रि० नं० 746/दावा/2018
वायरा दि० 14/05/2018



उनवान

पत्नी छोटूलाल जाति धाकड निवासी सॉरोला कलां तह० खानपुर जिला झालावाड़ (राज०)
—वादिया

बनाम

1. गिरिराज कुमारी पत्नी रमेश चन्द जाति धाकड नि० सॉरोला कला तह० खानपुर जिला झालावाड़ (राज०)
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज०) —प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :- श्री रमेश कुमार विजय अधिवक्ता - वादी

निर्णय

दिनांक 13 /02/2025

न्यायालय हाजा के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19/03/2020 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर ने ग्राम सॉरोला कलां की जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या नया 833 पुराना 167 किता 1 रकबा 1.2060 हेक्टर भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर, विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीया की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादीया विभाजन प्रस्ताव से सहमत है।

अतः बहस पर मनन किया गया। पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19/03/2020 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सॉरोला कलां की जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या नया 833 पुराना 167 किता 1 रकबा 1.2060 हेक्टर भूमि का वादी एवं प्रतिवादी का विभाजन बंटवारा निम्न प्रकार किया जाकर खाता पृथक किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

वादी - सुनीता बाई पत्नी छोटूलाल जाति धाकड सा० देह खातेदार

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म भूमि	दिशा
2075	0.603	बीड प्रथम	पश्चिम
किता-1	0.603		




उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

प्रतिवादी - गिरिराज कुमारी पत्नी रमेशचन्द्र जाति धाकड सा0 देह खातेदार

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म भूमि	दिशा
2075	0.603	बीड प्रथम	पूर्व
किता-1	0.603		

नोट :- दोनो खातेदारान के मध्य से मौके पर डामर सडक निकला हुआ है। खाते की शेष प्रविष्टि, यथावत् रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद हो। नक्शा डिक्री का हिस्सा रहेगा। पृथक लगान कायम किया जावे। वादी निर्धारित नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश करे। इस आशय अन्तिम डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली निर्णय मे शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/02/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



✓
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (जालापाड)